न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 3 / 2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. भरत पिता मोहनलाल जी कीर, निवासी ग्राम मोही, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. सुश्री शान्ति पुत्री मोहनलाल जी कीर, निवासी ग्राम मोही, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राकेश पिता मोहनलाल जी कीर, निवासी ग्राम मोही, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता स्वर्गीय मगना जी कीर, निवासी ग्राम मोही, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. अभिषेक पिता प्रहलाद जी माहेश्वरी (मुन्दड़ा), निवासी सुभाष नगर, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुनिल कुमार लठ्ठा, निवासी दयालशाह किला रोड़, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती आशा देवी पत्नी विक्रम जी देपुरा, निवासी नवबहार कॉलोनी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
दिनांक 14–12–2017, प्र.सं. 96 / 10

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री वी.एस. कर्णावत अभिभाषक रे. सं. 4 व 5
3. श्री राजेश पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 17–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा प्रतिवादी / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम केरोट में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की कुल किता 5 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है, जो पैत्रृक होकर वादीगण के दादा स्वर्गीय मगना जी से प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है, जिसके अनुसार मगना जी के दो पुत्र चुन्नीलाल व मोहनलाल हुए। मोहनलाल जी के वारिस वादीगण हैं। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं तथा हिन्दू मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू विधि अनुसार कोपार्सनर हैं तथा कोपार्सनर की हैसियत से पैत्रृक भूमियों में उनका हक अधिकार होकर प्रत्येक वादी का 1/4, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है, परन्तु उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण बिना विभाजन कराये उनके द्वारा कुछ भूमियां प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी गयी हैं तथा शेष भूमियां विक्रय करने पर उतारू हैं। अतएवं उपरोक्तानुसार वादीगण वादग्रस्त भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रकरण में दिनांक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां कोपार्सनरी की नहीं है। वादीगण के पिता व उनके भाईयों विभाजन के वाद वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आयी हैं, जिसमें वादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की, अब आपत्ति करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विशेष कथन में अंकित किया कि वादी यदि उक्त भूमियों को पैत्रृक भी साबित करा दे तो प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का मुखिया होने से उसके द्वरीर पारिवारिक जरूरतों हेतु आराजी नंबर 21 व 22 का पंजीकृत विक्रय मुझ प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया है, जिस पर स्वयं वादी भरत ने सहमति स्वरूप साक्षी दी है तथा वक्त विक्रय वादी संख्या 2 व 3 नाबालिग थे तथा उनका प्राकृतिक संरक्षक प्रतिवादी संख्या 1 है। श्रीमती जशोदा उनकी प्राकृतिक संरक्षक नहीं है, क्योंकि कानूनन पिता ही अवयस्क संतान का संरक्षक होता है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। वादी स्वयं द्वारा वाद पत्र की कलम संख्या 9 में कथन किया गया है कि उसके द्वारा विक्रय पत्र को खण्डित करने का दावा अलग से पेश किया जा रहा है ऐसी स्थिति में

यह वाद रेस ज्यूडीकेटा के आधार पर भी चलने योग्य नहीं है। आराजी नंबर 21 व 22 पर मुझ प्रतिवादी का कब्जा है, वादीगण का कब्जा नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में मुझ प्रतिवादी को विक्रय करने के बाद भी और भूमियां हैं। यदि वादीगण का कोई हक बनता है तो वह बाकी बची भूमियों का बंटवाड़ा कराकर अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। मगना जी की मृत्यु हुए काफी अरसा हो चुका है। यदि भूमियां मगना जी की साबित भी करा दी जावे तो भी उसकी मृत्यु के समय वादीगण का अस्तित्व ही नहीं था और चुन्नीलाल तथा मोहनलाल में उक्त भूमियों के खातेदारी हक निहित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में उसके बाद उत्पन्न हुई सन्तान का वादग्रस्त सम्पत्ति में कोई सहदायिकी हक नहीं रहता है, न खातेदारी भूमि में सहदायिकी हक होता है।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल ने वाद लम्बित रहते हुए अन्य आराजियात का विक्रय प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में कर दिया है, जिससे उन्हें भी पक्षकार संस्थित किये जाने के आदेश हुए तथा प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो गयी।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि विवादित भूमियां मोहनलाल जी द्वारा स्वअर्जित सम्पति है, जिससे उन्हें अपनी इच्छा अनुसार व्ययन करने का अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं हैं तथा वादग्रस्त भूमियां कोपार्सनरी सम्पत्ति नहीं हैं। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से आराजी नंबर 97/1, 105 व 103 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण का कब्जा नहीं है, ऐसी स्थिति में बिना कब्जेयाबी का वाद लाये निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने प्रतिफल के बदले दिनांक 07–06–2011 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07–06–2011 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा दिया जावे, वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण मगना के जीवनकाल में पैदा ही नहीं हुए थे, जिससे वादग्रस्त भूमियां मोहनलाल की स्वअर्जित मानी जायेगी तथा विधिक आवश्यकतावश किये गये अन्तरण को वादी प्रश्नगत आप न्यायालय में नहीं कर सकते।

प्ररकण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–11–2016 को निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियां वादीगण की पैत्रृक कृषि भूमियां हैं ? ..... वादीगण
2. आया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पैत्रृक कृषि भूमियों में प्रत्येक वादी का समान 1/4, 1/4 व 1/4 हिस्सा अवस्थित है, जो वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
3. आया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों को अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग–उपभोग, कब्जे काश्त भूमि में रूकावट, बाधा, दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करें बाबत् वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारीं हैं ? ..... वादीगण
4. अनुतोष

प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन दिनांक 10–10–2017 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथन किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अभिकथनों से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता जीवित होकर इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार हैं जिससे वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में पिता के जीवनकाल में विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के लिए वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है न हो सकता है और इस प्रकार वादी द्वारा जो वाद पत्र में दर्शित किया गया है वह वैध वाद कारण नहीं है और साथ ही वाद धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी पोषणीय नहीं होकर विधि द्वारा वर्जित है। अतएवं वाद खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा देते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाकर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमियां पैत्रृक होकर वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। वाद हेतुक के सम्बन्ध में वाद पत्र की कलम संख्या 12 में पूर्ण रूप से अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निराधार आधारों पर होकर खारिज योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 14–12–2017 से प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं सी.पी.सी. के प्रावधानों में वर्णित प्रावधानों अनुसार पिता प्रतिवादी संख्या 1 की संतान वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 5 की ओर से वकील श्री वी. एस. कर्णावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री राजेश पालीवाल उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट क प्रमुख अपील उजर यह हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावे का अनुसरण किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो विधि विपरीत है। आदेश 7 नियम 11 का निर्धारण करते समय केवल मात्र वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही गौर किया जाना था, अपीलान्ट का वाद किसी भी प्रकार से विधि वर्जित नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में वर्णित सभी तथ्य एवं साक्ष्य के मोहताज हैं, जिसे मेरिट पर ही निर्धारित किया जा सकता। अपीलान्टगण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की जाईन्दा संताने हैं तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व श्रीमती जशोदा के नुत्फे से उत्पन्न होकर उनका हक अधिकार निहित है। वादग्रस्त सम्पत्तियां सहदायिगी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक मौरूसी भूमियां हैं, जिसमें अपीलान्टगण का 3/4 हिस्सा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का नाम अंकित होने से नाजायज लाभ उठाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4 व 5 को विक्रय कर दिया है, जो अपीलान्टगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अपीलान्ट का वाद किसी भी प्रकार से विधि

वर्जित नहीं है तथा प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जाना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होकर त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आई कि वादी/अपीलान्ट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमियां मगना जी के समय की होकर उनके दो पुत्र चुन्नीलाल व मोहनलाल हुए, वादीगण मोहनलाल के वारिसान हैं तथा उक्त भूमियां पैत्रृक/सहदायिकी सम्पत्ति होकर वादीगण का भी उक्त भूमियों में 3/4 हिस्सा निहित है, इसलिए उनके 3/4 हिस्से की घोषणा की जावे।

उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद तनकियात भी कायम हो चुकी हैं तथा प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह विचारण किया जाना था कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादी के वाद को जिन आधारों पर विधि विरूद्ध बताया है, उन आधारों पर क्या आदेश 7 नियम 11 के आवेदन के तहत वाद खारिज किया जा सकता है तथा क्या वास्तव में आदेश 7 नियम 11 में वर्णित आधारों पर वाद विधि वर्जित है।

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा विस्तृत लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी है, जो पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है तथा उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों को हम यहां उद्धृत किया जाना उचित समझते हैं। प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा विस्तृत लिखित बहस के साथ निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.एल.डब्ल्यू. 2012 (4) पेज 3371 में यह अभिमत लिया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादी द्वारा पेश शुदा अभिकथनों पर ही विचार करके ही आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत के आवेदन को निर्णित करना चाहिए, न कि जवाबदावे के कथनों के आधार पर।
2. आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 721, जिसमें यह अभिमत किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत पुत्र या पुत्री का हिस्सा

उसके पिता के जीवनकाल में होगा अथवा नहीं इस बाबत् साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जाना चाहिए।

3. आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 101 जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि मौरूसी भूमियों के संबंध में विक्रय पत्र के क्षेत्राधिकार के स्थान पर राजस्व न्यायालय विक्रय पत्र पर विचार किये बिना निर्णय कर सकता है तथा भूमियां पैत्रृक एवं वादीगण की सहदायिकी हो तब केवल राजस्व न्यायालय वाद निर्णित कर सकता है।

4. आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 273, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 100 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि पैत्रृक सम्पत्ति में पिता के जीते जी दावा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

5. आर.एल.डब्ल्यू. 2018 (1) सुप्रिम कोर्ट पेज 460 में यह वर्णित किया गया है कि पुत्रियों के भी सहदायिकी अधिकार उनके जन्म से उत्पन्न होते हैं।

6. सी.डी.आर. 2017 (4) पेज 2036 में यह वर्णित किया गया है कि वाद पत्र से यदि सुस्पष्ट वाद आधार प्रकट होता है तो वाद को आदेश आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता।

इसके विपरीत वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.एल.डब्ल्यू. 2018 (सुप्रिम कोर्ट) को 2012 सुप्रिम कोर्ट पेज 1228, 2014 सुप्रिम कोर्ट पेज 1745, 2016 सुप्रिम कोर्ट पेज 86 के प्रकाश में per-incuriam होना बताया है, क्योंकि इस प्रकरण में पूर्व के निर्णयों का विश्लेषण नहीं किया गया है।

2. रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर 1986 सुप्रिम कोर्ट पेज 1753 में यह कथन किया गया है कि धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की मृत्यु पर पुत्रों को मिलने वाली सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति मानी गयी है।

3. न्यायिक नजीर 2008 देहली पेज 40 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पौत्रों का दादा द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में पिता के समय में

कोई हक नहीं होगा, जिसके पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है सिर्फ उन्हीं पुत्रों का ही हक होगा।

4. आर.आर.डी. 2017 पेज 732 में यह प्रतिवादित किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पुत्रों को अधिकार अर्जित नहीं होते।

5. डी.एन.जे. 2009 (3) पेज 1485 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पौत्रों यानि उनके पुत्रों के कोई हक नहीं होते।

6. डी.एन.जे. 2012 (1) पेज 383 में यह वर्णित किया गया है कि जहां सम्पत्ति में मूल विषय जो वाद हेतुक दर्शित करता हो वह वाद में वर्णित नहीं हो तो वाद हेतुक नहीं माना जा सकता।

7. डी.एन.जे. 2017 (1) पेज 14 एवं डी.एन.जे. 2017 रेवेन्यू पेज 133 में यह प्रतिपादित किया गया है कि पिता के जीवनकाल में पुत्रों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

8. न्यायिक नजीर 2016 देलही पेज 120 में यह प्रकट किया गया है कि जहां हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हिस्से का दावा किया जा सकता है वहां यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि हिन्दू संयुक्त परिवार 1956 से पूर्व से अथवा बाद में किस प्रकार अस्तित्व में था तथा जहां यह वर्णित नहीं किया गया हो कि दादा को प्राप्त सम्पत्ति उसके पितामहों से किसी प्रकार प्राप्त हुई है, ऐसा वर्णन नहीं हो तो वाद में वाद हेतुक उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता तथा दावा खारिज किया जाना चाहिए।

9. न्यायिक नजीर 2011 गुजरात पेज 27 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां वाद में अनुतोष के लिए उचित विधिक आधार नहीं बताये गये हैं, वहां वाद खारिज किया जाना चाहिए।

10. आर.आर.डी. 1996 पेज 4 में यह वर्णित किया गया है कि पुत्रों को पहले सक्षम सिविल न्यायालय से विक्रय पर निरस्त करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा विक्रय पत्र वोईडेबल होता है न कि वोईड।

11. आर.आर.डी. 1993 पेज 505 में यह वर्णित किया गया है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता द्वारा बिना विधिक आवश्यकता के किये गये विक्रय को वोईडेबल माना जाता है न कि वोईड।

12. ए.आई.एल.सी. 2010 पेज 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता कर्ता खानदान और मैनेजर को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति या पैत्रृक सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार है और ऐसा विक्रय विक्रेता स्वयं पर ही नहीं बल्कि अन्य सहदायिकी पर भी बाधित होता है।

13. सी.एल.जे. 2015 (3) पेज 733 में यह वर्णित किया गया है कि जब तक विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा दिया जाता तब तक वाद कारण पैदा होना नहीं माना जा सकता।

हमारे द्वारा सभी न्यायिक नजीरों का विश्लेषण एवं परिशीलन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहचें हैं कि प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा वाद में यह वर्णित किया गया है कि विवादित सम्पत्ति मगना जी की होकर उसके दो पुत्र चुन्नीलाल व मोहनलाल थे तथा वादीगण मोहनलाल के वारिस होने से उनका भी पैत्रृक सम्पत्ति में हक अधिकार है। वादी द्वारा उक्त भूमि मगना की होने बाबत् तथ्य अंकित किये हैं उक्त भूमि सहदायिकी की होना वर्णित किया है, परन्तु कहीं पर भी उक्त सम्पत्तियों को मगना जी के पूर्वजों के समय से होना वर्णित नहीं किया है, जबकि धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सम्पत्तियों को सहदायिकी की होने के लिए 4 पुश्तों तक का होना वांछनीय है। अर्थात वादी द्वारा उक्त भूमियों को यदि मगना जी के समय की होने के आधार पर पुत्रों का हक माना जाता है तो स्पष्टतया इस भूमियां का मगना जी के पुत्र मोहनलाल को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत एकल एवं एक्सक्लूजिव उत्तराधिकार प्राप्त होता है तथा मोहनलाल के जीवनकाल में मगना जी की सम्पत्तियों में उनके पौत्र यानि मोहनलाल के पुत्र–पुत्रियों को हक अधिकार प्राप्त नहीं होते, जब तक कि यह वाद पत्र में वर्णित नहीं किया गया हो कि उक्त सम्पत्तियां मगना जी के पूर्वजों के समय से चली आकर रही हों। अर्थात वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से ही जैसाकि अपीलान्ट कहता है कि सिर्फ वाद को देखा जाना चाहिए, वाद में भी भूमियों को मगना जी के समय की ही होना बताया है तथा मगना जी के समय तक के ही रेकार्ड पेश किये हैं।

अर्थात मगना जी की सम्पत्तियों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके पुत्र मोहनलाल को प्राप्त होने पर मोहनलाल के जीवनकाल में उसके पुत्रों को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पिता की सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के होते हुए द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

आश्चर्य जनक रूप से मगना जी की उक्त सम्पत्तियों का भी विभाजन जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 के खाता संख्या 42 में मगना जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमियां चुन्नीलाल व मोहनलाल में एवं उसकी बेवा जेतू के मध्य विभाजित होकर आराजी नंबर 23/1, 24/1, 99, 100 एवं 97/2 चुन्नीलाल को प्राप्त हुई एवं मोहनलाल को आराजी नंबर 21, 22, 97/1, 105 व 103 प्राप्त हुई। अर्थात भूमियां जो मगना जी की था, उसमें चुन्नीलाल व मोहनलाल के मध्य विभाजन होकर नामान्तरकरण संख्या 344 दिनांक 19–05–2009 से विभाजन होने का नोट लगा हुआ है। अर्थात सम्पत्तियों मौरूसी हों तो भी उक्त सम्पत्तियों का विभाजन होने के बाद मोहनलाल को प्राप्त सम्पत्तियां मौरूसी/सहदायिकी सम्पत्तियों का चरित्र नहीं रखती हैं। अर्थात वाद पत्र के साथ पेश शुदा वादी के दस्तावेजों एवं प्लीडिंग्स से यह सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा सहदायिकी सम्पत्ति होने बाबत् अपने वाद पत्र में कोई स्पष्ट वाद कारण उल्लेखित नहीं किये हैं तथा यह वर्णित किया है कि भूमियां मगना जी के समय की हैं, तद्नुसार स्पष्टया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मगना जी की सम्पत्तियों में मोहनलाल के पुत्रों को मोहनलाल के जीवनकाल में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा भूमियां मगना जी के पूर्वजों के समय से चली आने के कोई तथ्य वादी द्वारा वाद में वर्णित नहीं किये गये हैं, जिससे भी स्पष्ट होता है कि वाद पत्र में ऐसा कोई वाद हेतुक वर्णित नहीं किया गया है जिसके आधार पर भूमियों को सहदायिकी सम्पत्ति होना माना जा सके। यह सुस्पष्ट है कि वाद धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोहनलाल के अधिकारों की पुष्टि करता है तथा वाद पत्र में भूमियों के सहदायिकी की होने बाबत् कोई स्पष्ट तथ्य अंकित नहीं हैं, जिससे वादकरण उत्पन्न होना माना जा सके।

उपरोक्त परिस्थितियों में वाद पत्र के बरूऐ ही वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है तथा वादीगण का वाद अपीलान्ट/वादीगण की प्लीडिंग्स के अनुसार भी धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधि वर्जित है। यदि भूमियां संयुक्त परिवार की मौरूसी भी हैं तो भी उक्त भूमियों का वादीगण के पिता मोहनलाल द्वारा जो विक्रय किया गया है, उक्त विक्रय पत्र के वोईडेबल होने बाबत् भी वाद पत्र में कुछ भी वर्णित नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादी का वाद विधि वर्जित होने तथा वाद पत्र में वाद हेतुक भी दर्शित नहीं होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से **खारिज** की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भरत पिता मोहनलाल जी कीर, निवासी ग्राम मोही, तहसील व राजसमन्द व अन्य बनाम **मोहनलाल पिता स्वर्गीय मगना जी कीर निवासी ग्राम मोही, तहसील व राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**3/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....14**.....माह.....**12**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**17**.....माह.....**05**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अजयसिंह हाड़ा**..मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री वी.एस.कर्णावत/राजेश पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**17**.....माह.....**05**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।